

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. पार्ट-वॉल्यूम-3/2024/26993/161

दिनांक:- 29/4/2024

:-आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रामपाल खोरवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कुचामन सिटी	01.05.1964	30.04.2024
2	दलीचन्द मेघवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उदयपुर	04.05.1964	31.05.2024
3	हरजीराम चौधरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	राजसमन्द	19.06.1964	30.06.2024
4	गोतम लाल ननोमा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	डूंगरपुर	26.06.1964	30.06.2024
5	सत्यनारायण तेली	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	चित्तौडगढ	12.06.1964	30.06.2024
6	ढगलाराम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	पाली	04.07.1964	31.07.2024
7	राम बिलास नागर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कोटा	02.07.1964	31.07.2024
8	मांगी लाल नायक	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	चित्तौडगढ	08.07.1964	31.07.2024
9	गोपाल लाल चौपडा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	दूदू	01.08.1964	31.07.2024
10	छीतर लाल मीणा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बून्दी	18.08.1964	31.08.2024
11	नाथुलाल बुरानिया	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सीकर	05.08.1964	31.08.2024
12	थानाराम भाटी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	पाली	10.10.1964	31.10.2024
13	लवीना सुभाष	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	बांसवाडा	25.11.1964	30.11.2024
14	ओम प्रकाश छीपा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	शाहपुरा	10.11.1964	30.11.2024
15	अशोक कुमार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	कराबी औष. नं. 2 भरतपुर	11.11.1964	30.11.2024
16	राजकुमार शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सीकर	11.11.1964	30.11.2024
17	राजेन्द्र कुमार जोशी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	डूंगरपुर	30.12.1964	31.12.2024
18	जगदीश प्रसाद कुम्भकार	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	गंगगापुर सिटी	02.12.1964	31.12.2024
19	रोसलीन बोनीफास	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	अजमेर	31.12.1964	31.12.2024

श्री हरजीराम चौधरी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जाँच विचाराधीन/प्रस्तावित है। तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि शेष नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।

RajKaj Ref  
6805005



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: ...  
Date: 2024.04.29 08:28:44 IST  
Reason: Approved

पृष्ठ संख्या 2

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:-कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी यह सुनिश्चित कर लेवे कि किसी के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित/विचाराधीन तो नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 29/4/2024

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/सेनि. पार्ट-वॉल्यूम-3/2024/26993/16/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग (अराजपत्रित/राजपत्रित), राज हेल्थ पोर्टल, मुख्यालय।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6805005

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.04.29 18:28:44 IST  
Reason: Approved

DFA